न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 20/2019

संजीव कुमार पुत्र श्री कजोडमल जाति महाजन निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा हाल निवासी राजपूत कॉलोनी मिडवे के सामने जयपुर रोड दौसा जिला दौसा राज०

.. अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र कजोडमल
2. मोहनलाल पुत्र कजोडमल
3. बनवारी पुत्र कजोडमल
4. अशोक पुत्र कजोडमल
5. गिरीराज पुत्र कजोडमल
6. गजानन्द पुत्र कजोडमल
7. सुशील उर्फ राजेश पुत्र कजोडमल
8. रवि पुत्र कजोडमल
9. श्रीमती कमला पत्नि कजोडमल
   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा राज०
10. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण सं0 576 दिनांक 21.6.2013 तहसीलदार दौसा

उपस्थित– 1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता अपीलांट (अनुपस्थित)
2. श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 9 (अनुपस्थित)
3. राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय — दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम भंडाना के पारित नामान्तरण सं0 576 दिनांक 21.6.2013 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार दौसा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम अपीलांट को अपने नाम खुले नामान्तरण का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं हो सका। अपीलांट द्वारा कुछ दिनों पूर्व राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 8.8.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की जा रही है। यदि फिर भी अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1 से 9 के अनुपस्थित रहने से न्याय हित में अपील में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक अपील मीमों वाके ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.06 है0, 185 रकबा 0.54 है०,, 188/1724 रकबा 0.10 है0, 189 रकबा 0.62 है०, 282/1736 रकबा 0.05 है0, 283 रकबा 0.04 है०, 284 रकबा 0.02 है0, 285 रकबा 1.77 है0, 286 रकबा 0.33 है0, 287/1735 रकबा 0.03 है०,291/1734 रकबा 0.08 है0, 297/1737 रकबा 0.05 है० कुल खसरा नम्बर 12 कुल रकबा 3.69 है० स्थित है जो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की माता भगवती के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की माता भगवती की मृत्यु हो जाने पर उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण दिनांक 21–6–2013 को खोला गया उसमें अपीलांट का नाम सहवन से संजीव कुमार न कर संजय के नाम खोल दिया गया है जबकि अपीलांट का सही एवम वास्तविक नाम संजीव कुमार है जिस बाबत अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नही हो सकी तथा अभी कुछ दिनो पूर्व अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने पर अपीलांट को अपने नाम का गलत अंकन होने का ज्ञान हुआ जिस पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तरण संख्या 576 में जो अपीलांट का गलत नाम संजय अंकित कर जो नामान्तरकरण खोला गया है वह निरस्तनीय है। अपीलांट का सही एवम वास्तविक नाम उसके दस्तावेजात में संजीवकुमार अंकित है। अपीलांट का जो आधार कार्ड बना हुआ है वह भी अपीलांट के सही एवम वास्तविक नाम संजीव कुमार के नाम से बना हुआ है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो पहचान पत्र अपीलांट का जारी किया गया है वह भी संजीव कुमार के नाम से जारी किया गया है व अपीलांट का जो राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है उसमें भी अपीलांट का सही व वास्तविक नाम संजीवकुमार अंकित है इसके अलावा अपीलांट का आयकर विभाग द्वारा पेनकार्ड जारी किया गया है उसमें भी अपीलांट का नाम संजीवकुमार अंकित है, तथा अपीलांट ने बैंक में अपना बचत खाता खुलवा रखा है उसमें भी अपीलांट का सही एवम वास्तविक नाम संजीव कुमार अंकित है। व ग्राम पंचायत जीरोताखुर्द की सरपंच द्वारा अपनी लेटर पेड पर प्रमाण पत्र भी उक्त आशय का जारी किया हुआ है किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर अपीलांट का सही एवम वास्तविक नाम का गलत अंकन कर नामान्तरण खोला गया है जो कि निरस्तनीय है। उपर दर्शाए अनुसार अपीलांट के समस्त दस्तावेजी रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम संजीव कुमार ही अंकित है, ऐसी सूरत में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 576 में अपीलांट के नाम का जो गलत अंकन किया गया है वह निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा का नामान्तरण संख्या 576 आदेश दिनांक 21–6–2013 निरस्त फरमाने की कृपा करे तथा उसके स्थान पर अपीलांट के सही एवम वास्तविक दस्तावेजी नाम संजीव कुमार के नाम नामान्तरण खोलने के आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:33 IST
Reason: SelfAttested

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था फिर भी यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एतकरफा बहस पर मनन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

7. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 576 दिनांक 21.6.2013 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम संजीव कुमार (जो कि सहवन से संजय कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. हमने वर्तमान जमाबंदी दिनांक 1.4.2025 का अवलोकन किया गया जिसकी प्रविष्टियां इस प्रकार है:– (ग्राम भंडाना तहसील दौसा जिला दौसा)
खसरा नंबर 186 रकबा 0.06 है0 खसरा नंबर 188/1724 रकबा 0.01है. खसरा नंबर 189 रकबा 0.62है. वर्तमान में नगर परिषद दौसा (जरिये 90 क) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज है।
खसरा नंबर 283 रकबा 0.04है. खसरा नंबर 284 रकबा 0.02है0, खसरा नंबर 285 रकबा 1.77है0 खसरा नंबर 286 रकबा 0.33है. खसरा नंबर 287/1735 रकबा 0.03है0 खसरा नंबर 291/1734 रकबा 0.08है0 खसरा नंबर 297/1373 रकबा 0.05है. में काश्तकार के रूप में संजीव कुमार पुत्र कजोड मल का नाम अंकित है व यही अनुतोष प्रार्थी द्वारा चाहा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 185 रकबा 0.54है0 का अंकन किया गया है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरा पवन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद एवं हरिओम पुत्र राजन्द्र प्रसाद के नाम अंकित है एवं उसका रकबा 0.17है. है। प्रार्थी द्वारा संलग्न जमाबंदी में यह खसरा 187 रकबा 0.54है. दर्ज है जिससे यह प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सहवन से गलत खसरा नंबर 185 अंकित कर दिया है जो कि खसरा नंबर 187 होना चाहिए। वर्तमान में खसरा नंबर 187 रकबा 0.54है. नगर परिषद दौसा (जरिये 90 क) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्ज है। चूंकि प्रार्थी का चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही मिल चुका है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निस्तारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:33 IST
Reason: SelfAttested